राजस्थान विधान सभा

द्वितीय बैठक-सोमवार, दिनांक ३१ मार्च, सन् १९५२ ई०

सभा की बैठक आज दिनांक ३१ मार्च, सन १९५२ ई० को सवाई मानसिंह टाउन हॉल, जयपुर, में ८ बजकर ४५ मिनट पर प्रारम्भ हुई। कार्यकारी अध्यक्ष महोदय (माननीय महारावल श्री संग्रामसिंह, सामोद) अध्यक्ष पद पर आसीन।

—:::o:::—

शपथ व प्रतिज्ञान ग्रहण

माननीय कार्यकारी अध्यक्षः–

माननीय सदस्य गण, आज की बैठक का सबसे पहला कार्य यह है कि जिन माननीय सदस्यों ने दिनांक २९ को शपथ व प्रतिज्ञान ग्रहण नहीं किया हो वे आज ऐसा करेंगे। उनके नाम अब पढ़ कर सुनाये जायेंगे।

(सचिव ने निम्नांकित सदस्यों के नाम पढ़ कर सुनाये)

१. श्री भगवानसिंह
२. श्री मोतीलाल
३ श्री रघुराजसिंह
४. श्री रामकरण जोशी

(श्री भगवानसिंह और श्री मोतीलाल ने शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण किया। श्री रघुराजसिंह अनुपस्थित होने के कारण ऐसा न कर सके। श्री रामकरण जोशी के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित आदेश दिया।)

माननीय कार्यकारी अध्यक्षः–

चूंकि माननीय सदस्य, श्री रामकरण जोशी, यहां उपस्थित हैं लेकिन उनकी ऐसी हालत नहीं है कि वे यहां आ सकें और शपथ लेकर लौट सकें इसलिये मैं इस बात की अनुमति देता हूं कि वे अपने स्थान पर ही शपथ ग्रहण करलें।

(अतः श्री रामकरण जोशी ने अपने स्थान पर ही शपथ ग्रहण की)

अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन

माननीय कार्यकारी अध्यक्षः–

दूसरा कार्य अध्यक्ष का निर्वाचन है।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल (मुख्य मंत्री)

अध्यक्ष महोदय, मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं कि श्री नरोत्तमलाल जोशी इस सदन के अध्यक्ष पद पर आसीन हों।

श्री जसवन्तसिंह (विरोधी दल के नेता)

अध्यक्ष महोदय, अपोजिशन (विरोधी दल) की तरफ से यह कहने में मुझे बड़ा हर्ष है कि मेरे माननीय मित्र श्री पालीवालजी ने जो प्रस्ताव किया है उसका मैं हर्ष के साथ अनुमोदन करता हूं।

(करतल ध्वनि)

माननीय कार्यकारी अध्यक्षः -

सदन के सामने यह प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है कि श्री नरोत्तमलाल जोशी इस सदन के अध्यक्ष पद पर आसीन हों। चूंकि अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ एक ही सदस्य का नाम प्रस्तुत हुआ है इसलिये मैं घोषणा करता हूं कि श्री नरोत्तमलाल जोशी सर्वसम्मति से अध्यक्ष निर्वाचित हुए।

(करतल ध्वनि)

(माननीय श्री टीकाराम पालीवाल (मुख्य मंत्री) व विरोधी दल के नेता, श्री जसवन्तसिंह, ने श्री नरोत्तमलाल जोशी को लाकर अध्यक्ष-पद पर आसीन करवाया)

(श्री नरोत्तमलाल जोशी के अध्यक्ष पद पर आसीन होने पर करतल ध्वनि)

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल (मुख्य मंत्री)

अध्यक्ष महोदय, आज हम भारतीय प्रजातन्त्र के इस संविधान के बाद, पहली बार मिल रहे हैं। हमारे राज्य के लिये जनतंत्रात्मक प्रणाली का यह पहला ही परीक्षण है। इसमें हमें ऐसी परम्परायें, वे परम्परायें जो दूसरे अन्य जनतंत्रात्मक देशों में मान्य हैं, डालनी है। ऐसे अवसर पर इस सदन के अध्यक्ष-पद पर जो आपका निर्वाचन हुआ है, यह हम सबके लिए एक आनन्द की बात है। इस सदन में से जो लोग आपको पहले से जानते हैं वे यह महसूस करते हैं कि हमारे इस कार्य में, जिसका कि न केवल हमारे प्रान्त पर ही, न केवल हमारे राज्य पर ही, लेकिन क्योंकि हमारा राज्य सारे भारतीय संघ का एक अभिन्न अंग है–इस दृष्टि से, हमारे

देश पर इस सदन के कार्यों का निश्चय ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने वाला है। इस सारे महत्वपूर्ण कार्य में, हमें विश्वास है कि, सदन के सब लोगों का, न केवल सरकार या सरकारी पक्ष का बल्कि विरोधी पक्ष का भी अथवा अन्य सदस्यों का भी आप हमारे इस कठिन कार्य में हमारा मार्ग प्रदर्शन करा सकेंगे और ऐसी परम्परायें डालने में मदद कर सकेंगे कि हम इस सदन के सदस्यों की हैसियत से अपने कर्तव्य का पालन केवल, दलगत राजनीति से ऊंचे उठकर इस सदन के सदस्यों के नाते, जो पवित्र कर्तव्य हमारा राज्य के प्रति आया है, इस राज्य के प्रत्येक नागरिक के प्रति आया है, उसका पूर्णतः पालन कर सकें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम आपके मार्ग-प्रदर्शन में चलकर अपने कर्तव्यों का पूरी तरह पालन करेंगे।

(करतल ध्वनि)

श्री जसवन्तसिंह (विरोधी दल के नेता)

श्रीमान् अध्यक्ष जी, अपोजीशन (विरोधी दल) की ओर से मुझे यह कहने में कि आपको जो यह पद ग्रहण करने के लिए अवकाश मिला है, बड़ी प्रसन्नता और हर्ष है। जो कुछ माननीय पालीवालजी ने आपके निमित्त कहा है और जिस तरह का पथ-प्रदर्शन आप हमारा करेंगे वह भाव मैं भी प्रकट करता हूं। उसमें मैं भी शामिल हूं।

आप राजस्थान में ही नहीं बल्कि हमारे देश में एक योग्य कानून जानने वाले हैं और नामी एडवोकेट रह चुके हैं। आप पर यह भार पड़ा है यह कोई ताज्जुब की बात नहीं है। कम से कम, १०-१२ महिने मुझे भी आपके साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आप की जो योग्यता और लायकी हैं उससे मैं भलिभांति जानकारी रखता हूं।

आपने अपनी बड़ी भारी आमदनी को छोड़ कर अपने प्रान्त की जनसेवा के लिए इस पद को ग्रहण कर जो त्याग किया है उसकी हम सराहना करते है। हम उम्मीद करते हैं कि आपका एक पार्टी मेम्बर की हैसियत से जो पिछला जीवन रहा है आप इस पद को ग्रहण करने के बाद उस सब को भूल जायेंगे और हम सब के लिए, चाहे विरोधी दल हो या कांग्रेस दल हो, जिस के कि आप एक बड़े नेता रह चुके हैं और जिसके लिए आप एक पार्टी मेम्बर की हैसियत से काम कर चुके हैं, उसको इस वक्त भूल जायेंगे।

इस संबन्ध में जो एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं वह यह है कि विलायत में जहां की परम्परायें विधान के लिए या अपने संविधान (कोन्स्टीट्यूशन) के लिए, जिसकी हमने नकल की है, ऐसी है कि जो स्पीकर जिस पार्टी का बन जाता है वह केवल उस पार्टी का ही त्याग नहीं कर देता है बल्कि जो पोलिटिकल (राजनीतिक) क्लब वहां होते हैं उसकी मेम्बरशिप (सदस्यता) को भी छोड़ देता है और किसी पोलिटिकल (राजनीतिक) वातावरण से उनका वास्ता भी नहीं रहता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज से आप केवल एक कांग्रेसमेन

नहीं हैं बल्कि आप हम सब के हित को देखने के लिए और पथ-प्रदर्शन के लिए इस ओहदे पर आरूढ़ हुए हैं। जब की अपने अपनी इतनी बड़ी आमदनी का त्याग करके इस पद को ग्रहण किया है तो मैं आशा करता हूं कि आपकी जो कांग्रेस पार्टी के साथ एलिजिएन्स (निष्ठा) रही है, उसका भी, इस पद पर आरूढ़ होने पर आप त्याग कर देंगे मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि आप निष्पक्षता से काम करेंगे और हमारे विश्वास को कायम रखेंगे बल्कि मैं यह भी कहूंगा कि हम लोग जो इस तरफ विरोधी दल में बैठे है कुछ पार्टी के चिन्ह जो आपके साथ हैं उनसे झिझकते हैं। आशा है कल से आप कम से कम सफेद टोपी को धारण नहीं करेंगे। मैं बधाई देता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(करतल ध्वनि)

महारावल श्री संग्रामसिंह:--

माननीय अध्यक्ष, हमारे दल की ओर से हमारे लीडर, कुंवर जसवन्तसिंहजी, ने आपको बधाई पेश कर दी है। लेकिन चूंकि मुझे आप सब लोगों ने दो दिन के लिए अध्यक्ष का स्थान सौंपा था उस नाते में भी दो शब्द आपके प्रति कहूं।

मुझे बड़ी भारी खुशी है कि मेरे से दो कार्य सम्पन्न हुये। अव्वल तो सब सदस्यगणों का शपथ का कार्य जो बड़ा लाजमी था और दूसरा माननीय अध्यक्ष का निर्वाचन। आप सर्व सम्मति से अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं इसके लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं। आप इस पद के लिए हर तरह से योग्य हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके कार्यकाल में यह सदन प्रतिष्ठा कायम रखेगा और कुछ ऐसी परम्परायें कायम होंगी जिससे कि कार्य में सहूलियत पैदा हो। आपका स्थान एक ऐसा ऊंचा स्थान है जैसा कि हमारे लीडर ने कहा है कि अब आप किसी पार्टी के नहीं रह सकेंगे। आपके नजदीक सब दल बराबर होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप निष्पक्षता से काम करेंगे जिससे कि सभी सदस्य गण आप में विश्वास रखेंगे और आपको सहयोग देते रहेंगे। मैं और कुछ न कहकर अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि दो दिन के समय में मेरे से जो कुछ त्रुटियां हुई हों उसके लिए सदन क्षमा करेगा।

(करतल ध्वनि)

श्री गोपीलाल यादव

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं और मेरे कुछ साथी अपोजिशन (विपक्ष) में हैं लेकिन वे संयुक्त दल में शामिल नहीं हैं। उन सब की तरफ से मैं आज आपको इस निर्वाचन पर बधाई देता हूं और सब से बड़ी बधाई मैं कांग्रेस पार्टी को देता हूं जिसने आप जैसे योग्य आदमी को आज, अपनी सहायता और

समर्थन को खोकर, हम सब का, हाउस (सदन), का बना दिया है। (करतल ध्वनि) आज से आप कांग्रेस पार्टी के ही नहीं हैं, हम सब के हैं, कांग्रेस में यद्यपि आपका त्याग महान है। इसके साथ ही मुझे पूर्ण आशा है कि हाउस (सदन) के प्रिविलेजेज (विशेषाधिकार) मेम्बर्स के प्रिविलेजेज (सदस्यों के विशेषाधिकार) आपके हाथ में सुरक्षित रहेंगे। आपके होते हुए इस हाउस (सदन) का कार्य इतनी अच्छी तरह चलेगा कि हिन्दुस्तान के दूसरे सूबों में जो हाउसेज (सदन) एसेम्बलीज (विधान सभायें) आज तक काम कर रही हैं उनमें जिन योग्य अध्यक्षों ने परम्परायें कायम की हैं उनसे हमारी, इस हाउस (सदन) की परम्परायें कहीं कम नहीं होंगी। मैं यह कहकर पूर्ण आशा करता हूं कि आप आज से हम सब के रहेंगे इसमें कोई शुबहा नहीं है।

(करतल ध्वनि)

माननीय अध्यक्ष:--

माननीय सदस्यगण, जो विश्वास आप लोगों ने मेरे प्रति प्रदर्शित किया है उसके लिए मैं अपने आपको बहुत आभारी समझता हूं। जो धन्यवाद दिये गये हैं और उनमें जिन बातों का संकेत किया गया है, ठीक ही है। आप इस बात का विश्वास रखियेगा कि हमको राजस्थान में ऐसी परम्परायें कायम करनी हैं, इस विधान सभा के अन्तर्गत, कि जो न केवल राजस्थान के लिए ही किन्तु सारे भारतवर्ष के अन्दर ऐसी विधान सभाओं के लिए आदर्श बन सके और ये सारी परम्परायें उस स्थिति में ही डाली जा सकती हैं जब कि हम मिलकर सहयोग की भावना से कार्य करें। मुझे कहते हुए संकोच नहीं होता कि जिसे पार्टी की ड्रेस बतलाया गया है और जिस तरह हमारे वामपक्ष (विरोधी दल) के नेता ने कहा है और उसकी काट एक उसी पक्ष के खादी टोपीधारी सदस्य से उसी प्रकार की ड्रेस पहनने से हो जाती है। मैं फिर भी विश्वास दिलाता हूं कि वेष-भूषा से किसी की जांच न की जाय, किन्तु निष्पक्ष भाव और सद्भावना से जो कार्य किया जाता है उससे उसकी जांच होगी और मैं विश्वास दिलाता हूं कि सारी दलबन्दियों से दूर, ऊंचा उठा कर निष्पक्ष भावना से, जहां तक मुझ से हो सकेगा (करतल ध्वनि) मैं अपने कर्तव्यों का ध्यान रखूंगा और इस विधान सभा के अन्दर परम्परा डालने की हम सब लोग कोशिश करेंगे और उसके लिये आप लोग मेरी सहायता करेंगे।

एक बार फिर मैं आप लोगों ने मेरे प्रति जो विश्वास प्रदर्शित किया है उनके लिए आभार प्रदर्शित करता हूं।

(करतल ध्वनि)

माननीय अध्यक्ष:--

अब सदन के सामने उपाध्यक्ष का चुनाव होगा।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल (मुख्य मंत्री)

अध्यक्ष महोदय, मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन के उपाध्यक्ष पद पर श्री लालसिंह शक्तावत आसीन हों ।

श्री जसवन्तसिंह (विरोधी दल के नेता)

मैं इस प्रस्ताव का हर्ष के साथ समर्थन करता हूं ।

माननीय अध्यक्षः-

उपाध्यक्ष के निर्वाचन का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । और कोई प्रस्ताव इसके लिए नहीं है, इसलिये सर्व सम्मति से श्री लालसिंह शक्तावत उपाध्यक्ष के पद पर चुने जाते हैं ।

माननीय अध्यक्षः-

प्रस्ताव पास हुआ "श्री लालसिंह शक्तावत उपाध्यक्ष के पद पर आसीन हो" ।

(करतल ध्वनि)

माननीय अध्यक्षः-

सदन की बैठक··········

श्री जसवन्तसिंह (विरोधी दल के नेता)

ओन दी पाइन्ट ऑफ आर्डर सर, एक बात का मैं सफाई कराना चाहता हूं अगर आपकी इजाजत हो ।

माननीय अध्यक्षः-

कहिये ।

श्री जसवन्तसिंह (विरोधी दल के नेता)

माननीय अध्यक्ष, विधान सभाओं की जहां तक मेरी जानकारी है, कहीं भी सारे संसार में ऐसी विधान सभा नहीं होगी, जिसमें इन्टरपेलेशन्स यानि प्रश्न पूछने का कार्यक्रम में स्थान नहीं हो । हमारे पास जो कार्यक्रम भेजा गया है उसमें सब बातें दिखादी गई हैं. लेकिन जहां तक मैं देख सका हूं प्रश्नों के पूछने के बारे में कोई भी बात नहीं है । क्या हमारे राजस्थान की विधान सभा संसार में निराली होगी जिसमें प्रश्न नहीं पूछे जा सकेंगे ? जो हमारे मिनिस्टर साहिबान हैं वे यह खयाल करते होंगे कि हम ऐसे सवाल करेंगे जिनसे उन्हें असुविधा होगी । हम आश्वासन देते हैं कि हम ऐसी आसान बातें पूछेंगे जिससे उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा ।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल (मुख्य मंत्री)

अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि सभी धारा सभाओं में प्रश्नों के लिये समय रहता है और हम को भी यह रखना ही चाहिये था, लेकिन माननीय विरोधी दल के नेता शायद इस बात से परिचित हैं कि हमको बहुत जल्दी में यह सारा प्रोग्राम तय करना पड़ा है और प्रश्नों का समय रखने का मतलब होता है वास्तविक तौर से रखा जाना, न कि केवल औपचारिक ढंग से । प्रश्नों के लिए समय न रखने का मतलब यह नहीं था कि कुछ सदस्य प्रश्न पूछेंगे और सरकार को उनका उत्तर देना पड़ेगा । उसके मायने यह होते हैं कि कई प्रश्नों के बारे में हमको सूचनायें प्राप्त करनी होती हैं, अपने दूसरे आफिसरों से, जो कभी कभी सैकड़ों मील की दूरी पर या किसी थाने या तहसील में बैठे होते हैं, इतने थोड़े समय में यह संभव नहीं था । इसलिये प्रश्नों का समय नहीं रखा गया । इसमें कोई असुविधा की बात नहीं, सिवाय इसके कि यदि इस कार्यक्रम को वर्तमान अधिवेशन में रखते तो इसके मायने यह होते कि १५-२० दिन के लिये इसको स्थगित करते । सरकार यह नहीं चाहती कि कोई यह खयाल करे कि सरकार सदन की बैठक आगे के लिये टालना चाहती है । सरकार का यह ध्यान था कि पहली बैठक जल्दी से जल्दी बुलाई जावे । सवालों के लिये हमें १५-२० दिन का नोटिस देना पड़ता । मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि माननीय मित्रगण इस प्रकार का संदेह नहीं करेंगे । आगे बहुत जल्दी इस सदन की बैठक बुलाई जावेगी और उस समय जितने भी वे प्रश्न करेंगे उनका हम स्वागत करेंगे और जैसा भी सरकार के पास उनकी सन्तुष्टि के लिये उत्तर होगा उनके सामने उपस्थित किया जावेगा । अभी भी कोई शोर्ट नोटिस पर जो भी प्रश्न होंगे उनका हम स्वागत करेंगे । मैंने यह समझा था कि इस तरह के प्रश्न वास्तव में पोलिसीज के बारे में हुआ करते हैं । पोलिसीज और बड़े तथ्यों के प्रश्नों के बारे में उत्तर थोड़े समय में नहीं मिल सकते हैं । यही कारण था ।

श्री गोपीलाल यादवः-

अध्यक्ष महोदय, हमारे ओपोजिशन (विरोधी दल) के नेता की तरफ से जो सवाल किये गये हैं उसका हाउस (सदन) के माननीय नेता ने जो जवाब दिया है मैं समझता हूं कि वह सन्तोषजनक नहीं है । इस कार्यक्रम में सवालों का समय जरूर रखना चाहिये था । उसके लिये सवाल जरूर लेने चाहिये । जिन सवालों का जवाब वे दे सकते थे दिये जाने चाहिये थे और जिन सवालों का जवाब वे इस समय नहीं दे सकते उन्हें बताना चाहिये था कि हम इनका जवाब अगले सेशन (सत्र) में देंगे । लेकिन सवालों के लिये समय अवश्य कार्यक्रम में निर्धारित किया जाए ।

श्री कानसिंहः-

अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट (सरकार) के पास कितने प्रश्न आये हैं ?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल (मुख्य मंत्री)

अध्यक्ष महोदय, में माननीय सदस्य को नहीं सुन सका हूं कि वे क्या बोले ?

श्री कानसिंह:—

अध्यक्ष महोदय, अभी सवाल जानकारी के लिए यह है कि आया सरकार के पास इस वक्त कोई प्रश्न आये हुए ह या नहीं ? अगर आये हुये ह और फिर भी वक्त नहीं रखा गया तो इस बात को सूचना जरूरी है ।

माननीय अध्यक्ष:—

जो प्रश्नों के बारे में प्रश्न उठाया गया है उसके बारे में में स्थिति स्पष्ट कर दूं । स्थिति यह है कि हमारे यहां विधान सभा के कोई नियम उपनियम अभी तक लागू नहीं थे और पूर्वी पंजाब से लेकर वे नियम लागू किये गये हैं । इन नियमों और उपनियमों द्वारा एक अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ और जब तक स्थायी अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता तब तक प्रश्न किसके पास आते ? इन प्रश्नों की अवधि भी संभवत: १५ दिन या उससे कुछ कमबशी रहती है । इस कारण से, जसा कि नेता ने बतलाया ह कि विधान सभा का सेशन (सत्र) बहुत शीघ्र करना था इस कारण से कोई भी ऐसा प्रश्न, जिसमें सरकार को तैयारी करनी पड़ती हो, उसकें लिए समय नहीं रहता और अब जो शॉट नोटिस (अल्पकालिक प्रश्न) हों, जो नियम उपनियमों के अन्तर्गत लिये जा सकते हों, लिये जावें । इसके लिये यह प्रश्न नहीं रहता कि प्रश्नों के लिए कोई समय नहीं रखा ।

श्री जसवन्तसिंह (विरोधी दल के नेता)

माननीय अध्यक्ष, क्या में आपकी आज्ञा से एक और बात का स्पष्टीकरण पूछ सकता हूं ? दूसरी बात का स्पष्टीकरण जो मैं चाहता हूं वह यह है कि हम लोगों को जो सरकूलर्स (परिपत्र) भेजे जाते हैं उन सब में ओनरेबल मेम्बर (माननीय सदस्य) लिखा हुआ होता है । लेकिन जो लिफाफा होता है उसमें "श्री" होता है । इसके अलावा जिस रोज शपथ ग्रहण हुई थी उस समय माननीय मंत्रियों के लिए "ओनरेबल" (माननीय) शब्द काम में लाया गया और दूसरों क लिए 'श्री' लाया गया । सही बात क्या है, में जानना चाहता हूं ? हम सब इस बात में नये नये हैं । सिर्फ मिनिस्टर होने के नाते माननीय होता है और मेम्बर होने से ओनरेबल (माननीय) नहीं रहता; सही बात क्या है ?

माननीय अध्यक्ष:—

जो आपत्ति उठाई गई है उसके लिए मैं स्पष्ट कर दूं कि हाउस के अन्दर केवल मंत्रीगण ही ओनरेबल (माननीय) हैं और बाहर सदस्यगण भी

ओनरेबल (माननीय) हैं। इसलिये इस प्रकार की भाषा युज (प्रयोग) की गई है। मैं समझता हूं कि यह पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस (विधान सभा यी चलन) के अनुसार ठीक है।

(कुछ ठहर कर)

माननीय अध्यक्ष:—

सदन की बैठक मंगलवार १ अप्रेल, सन् १९५२ ई०, प्रातःकाल ८-३० बजे तक स्थगित रहेगी। इसके बीच में एक सूचना दे दूं कि आज ३ बजे राजप्रमुख द्वारा उद्घाटन भाषण होगा उसमें आप सब माननीय सदस्य पुनः एकत्रित होंगे। माननीय सदस्यगण २-३० बजे यहां उपस्थित हो जावें।

(इसके पश्चात् सदन ९ बज कर २० मिनट पर, सायंकाल ३ बजे तक के लिए, स्थगित हो गया।)

सायंकाल ३ बजे।

विधान सभा की बैठक आज, दिनांक ३१ मार्च, सन् १९५२ ई० को सवाई मानसिंह टाउन हाल, जयपुर, में सायंकाल ३ बजे पुनः प्रारंभ हुई। माननीय श्री नरोत्तमलाल जोशी अध्यक्ष पद पर आसीन।

श्रीमन् राजप्रमुख ने ठीक ३ बजे सभा-भवन में पदार्पण किया और निम्नलिखित उद्घाटन भाषण अंग्रेजी भाषा में दिया—

श्रीमन् राजप्रमुख का उद्घाटन भाषण

MR. SPEAKER, HON'BLE MEMBERS,

It affords me sincere pleasure to welcome you all—the representatives of our people from various parts of the State. This is a unique and notable occasion in the chequered and long annals of Rajasthan as it marks the ushering of a new epoch full of promise. The glorious deeds of chivalry, selfless patriotism and unflinching courage of the brave sons of this great State have been immortalised in the history of our country and will be a perennial source of inspiration and pride to the coming generations.

2. On this historic occasion it is but natural that we should think of that great fighter in the freedom struggle and architect of free India—the late Sardar Vallabh Bhai Patel of revered memory who by his wise and far seeing act of statesmanship united India in a manner never before attained in her long history. The Greater Rajasthan Union was inaugurated

on the 30th March, 1949 and on the 7th April the new Government took over the administration. On the 26th January, 1950, the State became in all respects an integral part of the Sovereign Democratic Republic of India as a result of the Constitution which the people of India gave unto themselves.

3. Unlike the former Governors' Provinces, now called Part 'A' States, the infant State of Rajasthan did not so far have the advantage of a legislature to guide its career. As the Rajpramukh of this new State, therefore, certain special responsibilities and functions were placed upon me by the Constitution which normally would have been discharged by the legislature. It is but right and proper that I should render to you, on whom will now devolve those responsibilities and duties, an account of the activities of my Government during the period when both Legislative and Executive functions vested in the Rajpramukh aided and advised by a Council of Ministers.

4. Before, however, proceeding with that account, I should take this opportunity of expressing my great pleasure at the satisfactory manner in which the general elections in Rajasthan have been conducted. You will agree with me that on the whole the elections, the first to be held on an adult franchise basis in India, were conducted with fairness, impartiality and an awareness of its great significance. For this, credit is due both to the general public who demonstrated a remarkable degree of intelligence in understanding the election procedure and to the services who on the whole administered the election law efficiently and impartially throughout this great experiment.

5. I would now like to place before you a brief resume of the important activities and achievements of my Government. This will also help you in understanding the background of the policies which my Government proposes to follow in the forthcoming year.

6. With the formation of Rajasthan we were confronted with problems of great magnitude requiring prompt solutions. The first step was the removal of the political and economic barriers between the various units forming Rajasthan and carving out cohesive and rational administrative units to suit the requirements of a modern administration. The abolition of the several High Courts of Judicature, Public Service Commissions, Revenue Boards and other organisations and their re-formation on a unified pattern was one of the first achievements of my Government. Then followed the creation of a uniform system of laws, taxation and financial and revenue administration. The integration of the services was a matter which received very

careful and anxious attention. The creation of common cadres of services like the Rajasthan Administrative, Judicial and Police Services has also been achieved. That a sound foundation has been laid for the administrative machinery is evident from the manner in which the services have acquitted themselves during the last three years following the integration. They have deserved well of us and I commend to you a policy whereby the services will be assured of your support in the discharge of their duties: never very easy and often onerous.

7. One of the main preoccupations of my Government during all this period has been the question of food for the people. Top priority is being given to the schemes which will ultimately lead to self-sufficiency in food. We have also been sharing in the scheme for the import of foodgrains to make good the deficiencies. In the last two years alone over sixtyfive lacs of rupees have been spent by my Government as subsidy on foodgrains. Controls and procurements have been administered with vigour and today this question is a source of far less anxiety. To the poor and middle class people the latest trend in commodity prices is a cheering sign, and reflecting this trend the Government have already removed restrictions on the movement of food-grains and also derationed sugar and cloth though they are still subject to control in the matter of prices.

8. With a vast majority of our population pursuing agriculture as their chief occupation we have naturally devoted a great deal of attention to the improvement in agricultural methods. A beginning has already been made in encouraging mechanical cultivation and the use of fertilizers, and power-lifting of water for irrigation. Scientific schemes for the protection of plants and crops from locust and other pests, improvement of livestock by distribution of pedigree stocks to villages, more widespread veterinary aid, distribution of "taccavis" on a generous scale and sinking a large number of artesian and tube wells are some of the measures which my Government have adopted to help the farmer. The Government will continue its endeavours to promote agricultural prosperity by every possible means.

9. As large areas of Rajasthan are dependent on the monsoon, the failure of rains last year was most unfortunate. There has been considerable migration of cattle leading to a certain amount of dislocation of rural life. Food and fodder have been scarce in several areas and though conditions had not reached the acute famine stage, as a measure of abundant caution, my Government created a separate organisation to combat the menace of famine. While we are still not out of

the woods, I think I can say without undue optimism that we have turned the corner. Famine relief works were started at appropriate places.

10. In the sphere of revenue administration we can look back with satisfaction on what we have been able to do. In order to reduce the scope for conflict between landlord and cultivator an important measure has been passed to improve the condition of the cultivator whereby rent in kind in unsettled areas has been limited to one fourth of the gross produce. An Ordinance was also passed for the protection of tenants against ejectment. Some of the major States of Rajasthan had separate land revenue and tenancy laws. It is intended to promote a Tenancy Bill and a Land Revenue Bill for the whole of Rajasthan, which will abolish the different classes of tenancies and assure full rights of alienation. In order to encourage minor irrigation works, an Act was made arming the Government with powers to compel repairs of tanks, canals, etc. or in the alternative to undertake such repairs themselves at the expense of the owner, A consolidated Court of Wards Act for the whole of Rajasthan has also been passed. Survey and settlement work is being carried on vigorously and in course of time the whole of this State will be properly surveyed and settled and a record of rights prepared.

11. Rajasthan has a system of land tenure based on the feudal structure of its society. A major part of the land was held by Jagirdars exercising varying degrees of control and jurisdiction. The position has changed with the passing of the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs Act, 1952. After several efforts at meeting various points of views the Act has now been passed with the assent of the President of India. The measure provides for compensation and will also leave in the possession of the landlords or the Jagirdars land for their cultivation. The Government will earnestly endeavour to secure the co-operation of all affected interests and others in implementing this measure for the improvement of the lot of the cultivator. The interests of Jagirdars regarding their rehabilitation and compensation will not be overlooked.

12. There is at present no proper law to control and administer the vast forests of the State. A comprehensive Forest Bill will be coming before you for consideration. Similarly a Co-operative Societies Bill providing a uniform law for the whole of Rajasthan will also come before you.

13. One of the major problems confronting my Government has been the law and order situation in Rajasthan. Considerable

attention has been devoted to these problems. One of the first acts of the Government was to unify and reorganise the Police Administration of the State. A special Police Force called the Rajasthan Armed Constabulary has been raised in order to replace the Army on the border. This young force has already won the admiration of the people by their efficiency and courage. The forces of law and order have not spared themselves in the discharge of their duties, often even at the cost of their lives, and there have been instances of courageous devotion to duty on the part of our Officers and men. In the whole of Rajasthan comparative figures of crime for 1951 and 1949 show a decrease. The Police lost one Officer and 39 men in engagements with dacoits. After the integration of the States Forces with the Indian Army, the Army was no longer available for internal policing. There was thus virtually a vacuum for many months. A large portion of the Police Force was illequipped, understaffed and untrained. Since then the Police Force reached a stage of development which made it possible to dispense with five companies of Uttar Pradesh Provincial Armed Constabulary borrowed by us. Even now, although training and facilities therefor have improved, the total strength of the Police is much less than that in any other State with the same area and population. Again, in Rajasthan there are certain special problems that have a direct bearing on the law and order situation. Over vast areas of Rajasthan communications are non-existent or are of a very primitive character. We have also a long border with Pakistan along a most inhospitable tract of the country where it is well-nigh impossible to maintain an intensive system of policing and patrolling.

14. The Government are fully alive to its primary duty of maintenance of law and order. They are determined to end lawlessness and restore security at any cost since without it progress of any kind is impossible. I hope full and unstinted support will be forthcoming from all quarters in any measures that may be deemed necessary to put down lawlessness.

15. In the sphere of nation-building activities our programme for the future is necessarily limited due to the present financial stringency. The Budget will shortly be presented to you. Education, medical aid and public health, encouragement of effective local administration, are some of the items which have always received and will continue to receive special attention. The key-note of the educational policy of the State has been to spread education more easily and cheaply amongst larger numbers. While large strides have been made in university and secondary education all over the State, the most important and encouraging sign has been a still greater spread

of primary education. This is as it should be, for our Constitution itself provides for universal compulsory primary education within a period of ten years. Special treatment is accorded to the economically weaker sections by exemption from payment of fees, scholarships etc. Private effort in the field of education is encouraged by generous grants-in-aid. Previously Rajasthan was entirely dependent on outside institutions for professional studies in medicine and engineering. It is gratifying to note that this deficiency has now been made good by the establishment of a Medical College at Jaipur and a Civil Engineering College at Jodhpur.

16. In regard to medical aid and public health, important steps have been taken to reorganise the entire machinery, one of them being the integration into a single unit of the two branches of medicine and public health as is usually done in all advanced States. The former States have given us some really fine institutions and staff that can compare favourably with the best in any part of India. At the same time it is true that the medical facilities have been more or less confined to urban areas while the rural parts have been to a certain extent neglected. One of the main preoccupations of the Government is to extend these facilities to villages. Our indigenous system of medicine finds an important place in the activities of Government and a separate self-contained organisation is being gradually built up.

17. Another major problem that we have to tackle in Rajasthan is the question of communications. We have already prepared plans for the construction of a network of roads in all parts of Rajasthan which are now deficient in communications. In view of the financial stringency which we are passing through this will naturally have to be done in stages but the ultimate goal of my Government is to solve this problem of road communications once for all.

18. Water supply is another major item deserving Government's attention in a place like Rajasthan. There are various places where even drinking water is not locally available but has to be carried over a distance of several miles. Filtered water is available only at Jaipur and Jodhpur. Various schemes of water supply both for urban and rural areas have been worked out and will in due course be implemented. The schemes of water supply as worked out are estimated to cost about five and a half crores of rupees. Twenty two district headquarters and 15 other towns are included in this scheme. Some funds have also been allotted by the Planning Commission for improving water supply in rural areas.

19. Electricity has come to be one of the essentials of modern life. Power generating units exist in various places in Rajasthan but the most important of these are at Jaipur, Bikaner and Jodhpur. Owing to the difficulty of securing capital equipment after the War, these units which had greatly deteriorated could not be improved or replaced. However in the last two years considerable progress has been made in this respect. Whilst at some places the capacities of the power stations are still being expanded further, at other places new generators are being installed.

20. Rajasthan has an important place in the field of irrigation. From 1928 a large tract of the sandy wastes of Bikaner have been under irrigation. For this achievement the people of Rajasthan owe a debt of gratitude to the farsighted and great Ruler of Bikaner, His late Highness Maharaja Ganga Singh. This was the first scheme of perennial canal irrigation undertaken in Rajasthan and now irrigates an area of about 7 lacs acres. We are also sharers in the Bhakra Dam Scheme which will ultimately bring under cultivation about 10 to 12 lacs of acres of land in Rajasthan, and also give us considerable industrial power.

21. The most important scheme in which both Rajasthan and Madhya Bharat are interested is the Chambal Valley Development project which is a multipurpose scheme. The total cost of the scheme is estimated at Rs. 48 crores. It envisages 3 dams and a barrage. Preliminary investigations have been completed and the question of the inclusion of this project in the Five Year Plan is under the consideration of the Government of India. Under the direction of the Planning Commission a joint project report is being prepared by the Madhya Bharat and Rajasthan Governments. It is hoped that 2 lakhs of acres of land will be brought under irrigation in 1954-55 which will be gradually increased and by 1960 when the scheme is completed it is expected to exceed 12 lakhs of acres. This Scheme will also generate 2,00,000 kilo watts of industrial power.

22. Like the rest of India, Rajasthan is essentially an agricultural, and to a certain extent, a pastoral State. While existence without food is inconceivable comfortable existence and any high standard of living is equally inconceivable without some degree of industrialisation. The Government has been giving close attention to the improvement of agricultural conditions in the State as well as to the development of industries and commerce. A policy of extending all possible encouragement in the way of concessions and facilities, technical

advice and help through experts or committees has been followed. The institution of a Mineral Advisory Council, the Industrial and Cottage Industries Exhibitions in 1951, the exhibition of the work done for the improvement of sheep and wool, are some of the positive steps taken by the Government. The ultimate aim of our economic policy is full employment for all and a higher standard of living for the common man by progressive industrialisation. At present Rajasthan produces textiles, sugar, cement, lignite, mica, etc. and makes an important contribution to one of the basic industries of India by supplying large quantities of high grade gypsum to the Fertiliser Factory at Sindri. With partition the main sources from which gypsum was drawn were lost to India but Bikaner and Jodhpur Divisions of the State have successfully stepped into the breach. So far as cement is concerned, the factory at Lakheri is one of the major producers in India.

23. We have a very special position in the field of wool production. About one-third of the total production of wool in India comes from Rajasthan. By improved methods of breeding, grading and shearing, and by creating an industry so that we do not remain mere producers of raw material, we can add the wealth of State.

24. The Government will follow a policy whereby State and private enterprise will supplement and complement each other in the field of industry. Whatever encouragement is required and possible to help forward private enterprise in this sphere will be readily forthcoming.

25. One of the essential pre-requisites of a successful and flourishing industry is efficient and contented labour. All important factory and labour laws of the Central Legislature, such as the Factory Act, the Workmen's Compensation Act, the Industrial Disputes Act, and so on, have been extended to Rajasthan. We hope that disputes between management and labour in industries if not altogether cease will at least be greatly reduced by resort to the Industrial Disputes Act. We have already had occasion to utilise this piece of legislation with satisfactory results. At any rate, adjudication and arbitration will in course of time eliminate breaches between these two important elements of the economic structure.

26. My Government has been closely following and has been associated with the work of the Planning Commission of India. According to the draft Plan already published a sum of over Rs. 15 crores is to be spent for Rajasthan over a period of 5 years. Out of this the Central Government's

contribution will come to approximately Rs. 9 crores. Efforts are being made by this Government to have the Chambal Hydro-Electric Scheme included in the Five Year Plan in which case there will be substantial increase in the funds devoted for the development of Rajasthan. Plans already prepared cover various aspects of development such as irrigation, power, medical aid and public health, communications, agriculture, veterinary aid, cottage industries, afforestation, education, labour administration and welfare, improvement of backward classes and water supply in those areas where water is scarce. When the plans are finally approved by the Planning Commission of India the question of the creation of a suitable machinery for the implementation of the various schemes comprised in the Five Year Plan will be taken up.

27. The Government is devoting attention to local self-government in the various areas. In some of the former States we had fairly advanced local administrations in the shape of Municipalities, District Boards and Panchayats. Steps have already been taken in the last two years to effect unified direction and control of local bodies so that they follow a more or less common policy all over the State. One of the directive principles enshrined in our Constitution is that the State shall take steps to organise Village Panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-government. Steps are being taken to fulfil this pledge. The aim of my Government is to have a Municipal Board for a town with a population of five thousand and over and Village Panchayats in villages with a population of one thousand or over. Laws in regard to some of these matters have already been passed and the Government intend to introduce the legislation required to effect the implementation of this policy as far as possible.

28. I should make a brief reference to the customs and excise administration of the State. The former is not as important as the latter because within a short period the tarrif barriers between this State and the rest of India will be removed. It is a matter of gratification that the Government has been able already to bring about a unified system of excise administration. An integral part of the excise administration is the policy of the State with regard to intoxicants and other drugs. In consonance with the policy adopted not only by the Central Government but by all civilised administrations of the world our policy is one of maximum taxes and minimum sales of intoxicatns and other drugs which are harmful to human health. In the particular circumstances of Rajasthan it has not been possible for my Government to take a final

decision on the controversial question of prohibition. In accordance with the Federal Financial Integration Agreement, the internal land customs will disappear gradually by 1955. We intend to make up the loss of income to some extent by the levy of agricultural income tax and also sales tax for which legislation will be introduced.

29. It is gratifying to feel that one of the major upheavals which at one time almost threatened to throw out of gear and over whelm the administration has been controlled successfully. I refer to the large-scale migration of displaced persons after the partition. Nearly four lacs of these persons have settled in Rajasthan. A vast majority of them have already been settled on land or have been found useful and profitable employment. In fact a stage has now been reached when we may discontinue to treat the displaced persons as a separate and distinct factor in the body politic of the State as they have been absorbed in the population and are useful members of society. The Government will not spare any effort to absorb these refugees into the normal common life.

30. Our Constitution has made special provisions for the weak and backward sections of the people and has placed on the Head of each State the responsibility of implementing these provisions. The President has already declared the areas, tribes and castes which are to be treated as Scheduled Areas, Scheduled Tribes and Scheduled Castes respectively. For their welfare in particular and for the welfare generally of all backward sections of the people of the State, it as the Rajpramukh of the State have got a special responsibility and obligation. A vigorous policy has been followed by us in this connection particularly during the last two years. Our aim is not to create a pampered community of helpless persons but to have intelligent and industrious citizens with dignity and self-respect, prepared to make their contribution in evolving a casteless and class society. Attempts are being made to spread education and enlightenment amongst these people by total exemption from payment of fees and provision of scholarships, special educational arrangements such as special institutions in the areas where these classes of people live, hostels etc. The education of the girls is also not neglected. The Government have also before them various schemes for the improvement of their lot such as provision of houses, providing facilities for agriculture, farming and industrial training. The absence of communications in some areas particularly of the Udaipur Division where the bulk of the scheduled tribes reside is one of the reasons for their continued backwardness since they have been living so far in isolation rarely coming into contact

with civilisation. In accordance with the constitutional provision, the Government have also reserved a certain proportion of posts in the public services for scheduled castes and tribes. A scheme is being worked out to extend the benefits of the co-operative movement to these people. It is hoped that after some time the people of these classes will be able to take their rightful place in the body politic of the State. Under the constitutional ban untouchability has already been outlawed. We are determined to see that in practice this provision is implemented.

31. I am afraid I have spoken at some length, but I feel that I should acquaint you with the manner in which the affairs of the State have been conducted by the Government and also about our plans for the future. You have now come here by the choice of the people to shoulder a great burden. For the first time in history we are entering upon the high and noble adventure of a democratic Government. This being our first experiment in a fully democratic form of Government, I hope all of you will so conduct yourselves in the discharge of your duties and responsibilities as members of this House as to lay down healthy traditions and sound conventions which will earn a place of honour and respect for our State as an integral and significant unit of free and democratic India.

32. The Government will always welcome all constructive criticism not only of their policies and programmes but also of their actions and omissions. They are fully alive to the difficulties that lie ahead in view of our slender resources and immense problems, but taking into account such limitations as exist today they have to tackle these problems with strength and determinations. And while they on their part will greatly value every suggestion calculated to improve the administration or to serve the masses, I hope every section of this House will unreservedly lend its support to make the Government really 'a Government of the people, by the people and for the people'. I would remind you of the pledge that you took to faithfully discharge the duties upon which you are about to enter. It may not be out of place to emphasise certain considerations which in my view are fundamental. The State is not a loose collection of classes whose interests are mutually conflicting, but the people constitute an organic whole and the welfare of the whole is bound up with the well-being of every section. Democracy does not mean merely a form of Government. It connotes a spirit. Its essence lies in conciliation, tolerance, mutual accommodation and readiness to seek adjustment of differences in a spirit of reasonableness, friendliness and good-will. A spirit of patriotism

and not of partisanship should actuate your deliberations and actions whether in this House or outside. One epoch has ended in Rajasthan and another is in the process of being unfolded. In this new epoch you are the guardians into whose keeping the interests of this ancient but at the same time infant State have been entrusted. May God guide you well in your deliberations and may it be given to us to inaugurate a new era of peaceful progress and prosperity in Rajasthan.

श्रीमन् राजप्रमुख के उद्घाटन भाषण का हिन्दी अनुवाद

अध्यक्ष महोदय व माननीय सदस्यों,

राज्य के विभिन्न भागों से आने वाले हमारी जनता के प्रतिनिधियों ! आप सबका स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। आज का अवसर राजस्थान के घटनापूर्ण और लम्बे इतिहास में अपूर्व और स्मरणीय है क्योंकि यहां से एक आशापूर्ण और नवीन युग में प्रवेश का श्रीगणेश होता है। इस विशाल राज्य के वीर पुत्रों की शूरता, निस्वार्थ, देशभक्ति व अविचल साहस के महान् कार्य हमारे देश के इतिहास में अमर होगए हैं जिनसे आनेवाली सन्तानों का सतत प्रेरणा और गौरव प्राप्त होता रहेगा।

२. ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर यह स्वाभाविक ही है कि हम स्वतंत्रता संग्राम के उस महान् सेनानी व स्वतंत्र भारत के निर्माता स्वर्गीय पुण्य स्मृति सरदार वल्लभभाई पटेल का स्मरण करें जिसने अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शितापूर्ण राजनीतिज्ञता से भारत, को ऐसे ढंग से सुसंगठित किया जैसा कि इसके लम्बे इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। बृहद् राजस्थान संघ का उद्घाटन ३० मार्च, १९४९ को हुआ और ७ अप्रल को राज्य-सत्ता नई सरकार ने संभाल ली। २६ जनवरी, १९५०, को भारतीय जनता द्वारा अपनाए गए संविधान के फलस्वरूप यह राज्य, भारत के समस्त-प्रभुत्व-संपन्न-प्रजातंत्रात्मक गणराज्य, का सब प्रकार से अभिन्न अंग बन गया।

३. पूर्व "गवर्नरो के प्रान्तों", जिन्हें अब भाग 'क' के राज्य कहा जाता है, की भांति राजस्थान के शिशु राज्य को अब तक अपने कार्य में पथ-प्रदर्शन के लिये विधान-मण्डल का लाभ प्राप्त नहीं था। अतः इस नवीन राज्य का राजप्रमुख होने के नाते संविधान द्वारा मुझे कुछ ऐसे विशेष उत्तरदायित्व व काम भी सौंप दिये गये थे जो सामान्यतया विधान-मण्डल द्वारा किये जाते। अतः अब यह उपयुक्त और उचित ही होगा कि मैं आपके सम्मुख जिनके ऊपर कि अब वे उत्तरदायित्व व कर्तव्य आएंगे, सरकार द्वारा उस अरसे में किये गये कार्यों का एक ब्यौरा रक्खूं जिसमें कि

राजप्रमुख को मन्त्रि-परिषद की सहायता व परामर्श से व्यवस्था व प्रबन्ध सम्बन्धी कार्य करने पड़ें।

४. परन्तु उक्त विवरण उपस्थित करने से पूर्व मैं इस बात पर हार्दिक प्रसन्नता प्रकट करना चाहता हूं कि राजस्थान में आम चुनाव बड़े ही संतोषजनक ढंग से हुए हैं। आप इस बात में मुझसे सहमत होंगे कि कुल मिलाकर बालिग मताधिकार के आधार पर भारत में प्रथम बार किये जानेवाले यह चुनाव ईमानदारी से, पक्षपात रहित होकर किये गये हैं तथा इस कार्य में इसके महान् महत्व का पूरा ध्यान रखा गया है। इसका श्रेय, साधारण जनता, जिसने निर्वाचन विधि को समझने में मार्के की क्षमता दिखलाई तथा कर्मचारियों, दोनों को है जिन्होंने इस महान प्रयोग में कुल मिला कर सर्वत्र कुशलता से व पक्षपात रहित होकर निर्वाचन कानून का पालन किया।

५. अब मैं आपके सम्मुख अपनी सरकार के महत्व-पूर्ण कार्यों व सफलताओं का एक संक्षिप्त विवरण उपस्थित करूंगा। इससे आपको उन नीतियों के अधार को समझने में भी सहायता मिलेगी जिनका हमारी सरकार आगामी वर्ष में पालन करने का विचार करती है।

६. राजस्थान बनते ही हमारे सम्मुख ऐसी विकट समस्यायें आई जिनको अविलम्ब हल करने को आवश्यकता थी। इस ओर पहिला कदम था राजस्थान की विभिन्न इकाइयों के बीच राजनैतिक और आर्थिक रुकावटों को दूर करना तथा आधुनिक प्रशासन की आवश्यकताओं के अनुकूल समानता लाने वाली विवेकपूर्ण प्रशासन इकाइयें बनाना। विभिन्न हाई कोर्ट ऑफ जूडीकेचरों, पब्लिक सर्विस कमिशनों, रेवेन्यू बोर्डों तथा अन्य संगठनों को समाप्त करना तथा उनका सम्मिलित आधार पर पुनर्निर्माण हमारी सरकार का सब से प्रथम सफलता का कार्य था। इसके बाद आया, समान कानून बनाना, समान कर नियत करना तथा आर्थिक व राजस्व प्रशासन में समानता लाना। राज्य सेवाओं का एकीकरण ऐसा विषय था जिस पर सरकार ने बड़ी सावधानी व चिन्ता से विचार किया। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव, ज्यूडिशियल व पुलिस सर्विस जैसी सेवा की समान श्रेणियां भी बना दी गई हैं। एकीकरण के बाद पिछले तीन वर्षों में जैसा कि सेवाओं ने स्वयं प्रमाणित किया है, यह स्पष्ट है कि प्रशासन कार्य के लिये एक सुदृढ नींव डाल दी गई है। वे हमारी ओर से हितकामना के अधिकारी प्रमाणित हुए हैं और मैं आपको ऐसी नीति अपनाने का परामर्श देता हूं जिससे कर्मचारियों को उनके कार्य सम्पादन में आपकी सहायता का विश्वास हो जाय। यह कार्य कभी भी सुगम नहीं है और कभी कभी तो बड़ा ही कठिन प्रमाणित होता है।

७. इस समस्त काल में मेरी सरकार का एक प्रमुख कार्य जनता के लिये भोजन की व्यवस्था करना रहा है। मेरी सरकार द्वारा ऐसी योजनाओं को नितान्त प्रमुखता दी जा रही है जिनसे भोजन के मामले में अन्ततोगत्वा हम स्वतः सम्पूर्ण होजाएं। कमियों को पूरी करने के लिये हम खाद्यान्नों के आयात की योजनाओं में भी भाग लेते रहे हैं। केवल पिछले दो वर्षों में ही सरकार द्वारा पैंसठ लाख से अधिक रुपया खाद्यान्नों पर सहायता के रूप में व्यय किया जा चुका है। नियंत्रणों

और अन्न प्राप्ति का प्रबन्ध बड़े उत्साह के साथ किया गया है, यही कारण है कि आज यह प्रश्न इतनी अधिक चिन्ता का विषय नहीं रहा है। गरीब और मध्यम वर्ग की जनता के लिये वस्तुओं के मूल्यों का अंतिम रुख उत्साहजनक रहा है और इस रुख को प्रकट करते हुए सरकार ने खाद्यान्नों के लाने लेजाने पर से पहले ही प्रतिबन्ध हटा दिये हैं और खांड और कपड़े पर से भी राशन हटा दिया है यद्यपि मूल्यों के विषय में उन पर अब भी नियंत्रण है।

८. हमारी अधिकांश जन संख्या का मुख्य धन्धा कृषि होने के कारण स्वाभाविकतया ही हमने कृषि कार्यों में सुधार की ओर काफी ध्यान दिया है। मशीनों द्वारा खेती करने, वैज्ञानिक खाद प्रयोग करने तथा सिंचाई के लिये शक्ति द्वारा पानी को ऊंचा उठाने को प्रोत्साहित करने का काय आरम्भ किया जा चुका है। पौधों व फसलों को टिड्डियों व अन्य कीड़ों से बचाने की वैज्ञानिक योजनाएं, गांवों में अच्छी नस्ल के पशु बांटकर पशु धन का सुधार, अधिक विस्तृत पशु-चिकित्सा सम्बन्धी सहायता, उदारता के साथ तकाबियों का वितरण तथा बड़ी संख्या में पाताल तोड़ कुंओं व ट्यूब वैल्स का निर्माण कुछ ऐसे उपाय हैं जो मेरी सरकार ने कृषकों की सहायता के लिये अपनाये हैं। कृषकों को सब प्रकार के संभव साधनों द्वारा अधिक समृद्धिशाली बनाने में सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रहेगी।

९. राजस्थान के विस्तृत क्षेत्रों के मानसून पर निर्भर होने के कारण पिछले वर्ष वर्षा का न होना हमारे लिये अत्यन्त दुर्भाग्य का विषय था। बड़ी संख्या में पशु बाहर चले गये हैं जिसके कारण ग्रामीण जीवन में कुछ उथल पुथल आगई है। बहुत से भागों में भोजन और चारे की कमी है और यद्यपि परिस्थिति भयंकर दुर्भिक्ष की अवस्था को नहीं पहुंची फिर भी पर्याप्त सतर्कता के रूप में मेरी सरकार ने दुर्भिक्ष के भूत से टक्कर लेने के लिये एक अलग सगठन स्थापित कर दिया। यद्यपि हम अभी तक मुसीबत से पार नहीं हुये हैं फिर भी मेरे ख्याल से अनुचित आशावादिता के बिना मैं कह सकता हूं कि हम उस मुसीबत से निकल गये हैं। जहां आवश्यकता अनुभव हुई वहां दुर्भिक्ष सहायता कार्य आरम्भ कर दिये गये थे।

१०. राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में जो कुछ हम कर सके हैं उसकी ओर सन्तोष से दृष्टि डाल सकते हैं। जमीदार और किसान के बीच झगड़े के अवसरों को कम करने के उद्देश्य से किसानों की दशा सुधारने के लिये एक महत्वपूर्ण कानून पास किया गया है। जिसके द्वारा गैर बन्दोबस्ती इलाकों में जिन्स में दिया जानेवाला लगान कुल उपज के एक चौथाई तक सीमित कर दिया गया है। एक अध्यादेश आसामियों के बेदखल किये जाने से संरक्षण के लिये भी पास किया गया था। राजस्थान की कुछ बड़ी रियासतों में मालगुजारी व काश्तकारी के अपने अलग २ कानून थे। अब समस्त राजस्थान के लिये एक काश्तकारी बिल और एक मालगुजारी बिल लाने का विचार है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की काश्तकारियां समाप्त हो जायंगी तथा हस्तांतरण (मुन्तकिली) सम्बन्धी समस्त अधिकारों का आश्वासन मिल जायगा। क्षुद्र सिंचन कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिये भी एक एक्ट बनाया गया था। जिसके द्वारा सरकार को तालाबों, नहरों आदि की मरम्मत करने को बाध्य

करने अथवा मालिक के खर्चे पर ऐसी मरम्मतें स्वयं करने की शक्ति दे दी गई थी। समस्त राजस्थान के लिये एक संघनित कोर्ट ऑफ वार्डस् एक्ट भी पास कर दिया गया है। पैमायश और बन्दोबस्त का कार्य बड़े उत्साहपूर्वक किया जा रहा है। कुछ समय में इस समस्त राज्य की ठीक तौर से पैमाइश हो चुकेगी और बन्दोबस्त पूरा हो जायगा तथा साथ ही अधिकार अभिलेख भी तैयार हो चुकेगा।

११. राजस्थान की भू-धारण पद्धति समाज के सामन्ती ढांचे पर आधारित है। यहां की अधिकांश भूमि जागीरदारों के हाथ में थी जिनके द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के नियन्त्रण व अधिकार काम में लाये जा रहे थे। "राजस्थान भूमि सुधार व जागीरों के पुनर्ग्रहण का एक्ट, १९५२", के के पास हो जाने से स्थिति अब ऐसी नहीं रही है। विभिन्न दृष्टिकोणों का सफलता से समावेश करने के बहुत से प्रयत्नों के बाद एक्ट पर भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है। एक्ट में क्षतिपूर्ति (मुआवजे) की व्यवस्था के साथ-साथ ऐसी व्यवस्था भी है जिससे भूस्वामियों और जागीरदारों के पास भी खेती के लिये काफी भूमि रह जायगी। किसानों की दशा सुधारने के लिये इस एक्ट को कार्य में परिणत करने में सरकार समस्त प्रभावित हितों व अन्य व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करने का पूर्ण प्रयत्न करेगी। साथ ही पुनर्वास व क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में जागीरदारों के हितों की भी उपेक्षा नहीं की जायगी।

१२. अभी राज्य के विशाल वनों का नियन्त्रण करने के लिये कोई उपयुक्त कानून नहीं है। एक विस्तृत वन विधेयक आप लोगों के सम्मुख विचारार्थ आएगा। इसी प्रकार समस्त राजस्थान के लिये समान कानून बनाने का एक 'सहकारी समितियां विधेयक' भी आपके सामने आने को है।

१३. हमारी सरकार के सामने एक बड़ी समस्या राजस्थान में न्याय और व्यवस्था की स्थिति की रही है। इन समस्याओं पर काफी ध्यान दिया गया है। इस सम्बन्ध में सरकार का प्रथम कार्य राज्य के पुलिस प्रशासन को एकीकृत व पुनस्संगठित करना था। सीमा पर सेना के स्थान पर काम करने के लिये हमने राजस्थान सशस्त्र सिपाही-दल नामक एक विशेष पुलिस दल बनाया है। इस नवीन दल ने अपनी कार्य कुशलता और साहस के द्वारा जनता की प्रशंसा प्राप्त करली है। न्याय और व्यवस्था के लिये उत्तरदायी दलों ने अपने कर्तव्यों के पालन में कुछ उठा नहीं रक्खा है और अपने कर्तव्य का पालन करने में अपने जीवन तक की परवाह नहीं की है। ऐसे उदाहरण देखने में आए हैं जब हमारे पदाधिकारियों व व्यक्तियों ने साहस के साथ अपने कर्तव्यों का सम्पादन किया है। समस्त राजस्थान के अपराध सम्बन्धी १९५१ व १९४९ के तुलनात्मक आंकड़ों से पता चलता है कि अपराधों की संख्या में बहुत कमी हो गई है। डाकुओं के साथ भिड़ने में पुलिस का एक अफसर व ३९ आदमी काम आये। रियासती सेनाओं के भारतीय सेना में मिल जाने के बाद सेना राजस्थान के भीतर पुलिस का कार्य करने के लिये उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार वास्तव में कई महीनों तक अभाव की स्थिति बनी रही। पुलिस दल के एक बड़े भाग के पास पूरा सामान नहीं था, कर्मचारियों की कमी थी व उन्होंने शिक्षण भी प्राप्त नहीं किया था। उस अवस्था से पुलिस दल उन्नति की इस स्थिति को पहुंच

गया कि हम उत्तर प्रदेश प्रांतीय सशस्त्र सिपाही दल की पांच कम्पनियों को, जिन्हें हमने उनसे मांग रक्खा था, वापस कर सके। आज भी, यद्यपि शिक्षण तथा उसकी सुविधाओं में सुधार होगया है, तथापि पुलिस को कुल शक्ति समान क्षेत्रफल और समान जन संख्या वाले किसी अन्य राज्य की तुलना में कहीं कम है। इसके अतिरिक्त राजस्थान में कुछ ऐसी विशेष प्रकार की समस्याएं हैं जिनका शान्ति और व्यवस्था की स्थिति से सीधा सम्बन्ध है। राजस्थान के बहुत से विस्तृत भागों में गमनागमन के साधन या तो हैं ही नहीं या बहुत ही आदिम प्रकार के हैं। देश के एक अत्यन्त अहितकर क्षेत्र के सहारे सहारे पाकिस्तान के साथ हमारी एक लम्बी सीमा भी है जहां पर पुलिस और गश्त का इतना घना प्रबन्ध करना प्राय: असम्भव है जितना कि कहीं और किया जा सकता है।

१४. सरकार को न्याय और व्यवस्था बनाए रखने के अपने प्राथमिक कर्तव्य का पूर्ण ज्ञान है। वह अव्यवस्था को समाप्त करने व किसी भी मूल्य पर सुरक्षा स्थापित करने पर दृढ़ प्रतिज्ञ हैं क्योंकि इसके बिना किसी भी प्रकार की प्रगति असंभव है। मुझे आशा है कि किन्हीं ऐसे उपायों में जो अव्यवस्था को समाप्त कर देने के लिये आवश्यक समझे जाएं मेरी सरकार को सब ओर से पूर्ण और अबाध सहायता प्राप्त होती रहेगी।

१५. राष्ट्र निर्माण कार्य के क्षेत्र में वर्तमान आर्थिक कठिनाई के कारण हमारा भावी कार्य-क्रम आवश्यक रूप से सीमित है। शीघ्र ही आपके समक्ष बजट प्रस्तुत किया जायगा। शिक्षा, चिकित्सा, साहाय्य तथा जन-स्वास्थ्य एवं प्रभावशाली स्थानीय प्रशासन को प्रोत्साहित करना-उनमें से कुछ हैं जिनका सर्वदा विशेष ध्यान रहा है और रहेगा। राज्य की शैक्षिक नीति का प्रधान लक्ष्य अधिकतम संख्या में अधिक सरलता एवं अल्प मूल्य में शिक्षा का प्रसार करना रहा है। जहां विश्वविद्यालय तथा माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में सम्पूर्ण राज्य में विशाल कदम उठाये गये हैं वहां अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं उत्साहजनक लक्षण प्रारम्भिक शिक्षा का और भी अधिक प्रसार करना रहा है। यह वैसा ही है जैसा कि होना चाहिये, क्योंकि स्वयं हमारे संविधान द्वारा दस वर्ष की अवधि के अन्दर व्यापक-आवश्यक-प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। आर्थिक रूप से अशक्त वर्गों को शुल्क देने से मुक्ति देकर तथा छात्रवृत्तियां आदि प्रदान करके उनके साथ विशिष्ट व्यवहार किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में वैयक्तिक प्रयत्न को उदारतापूर्वक सहायतार्थ अनुदान देकर प्रोत्साहित किया गया है। चिकित्सा तथा इन्जिनियरिङ्ग में व्यवसायिक अध्ययन के हेतु आरम्भ में राजस्थान पूर्णरूपेण बाह्य संस्थाओं पर निर्भर करता था। प्रसन्नता का विषय है कि अब यह कमी, जयपुर में एक मेडिकल कॉलेज तथा जोधपुर में एक सिविल इन्जिनियरिङ्ग कॉलेज की स्थापना करके, पूरी करदी गई है।

१६. चिकित्सा-साहाय्य तथा जन-स्वास्थ्य के सम्बन्ध में सम्पूर्ण यंत्र का ही पुनरुद्धार करने हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं, उनमें से एक चिकित्सा और जन-स्वास्थ्य की दो शाखाओं को मिलाकर एक इकाई का रूप, देना है जैसा कि साधारणतया समस्त प्रगतिशील राज्यों में किया जाता है। भूतपूर्व राज्यों से हमें कुछ यथार्थ रूप से सुन्दर संस्थाएं तथा कर्मचारीवर्ग प्राप्त हुआ है, जिसकी भारत के

किसी भी भाग के सर्वोत्तम से सफलता के साथ तुलना की जा सकती है। इसके साथ साथ यह सत्य है कि ये चिकित्सीय सुविधाएं प्रायः नागरिक-क्षेत्रों तक ही सीमित रही हैं, जब कि देहाती भागों की किसी हद तक उपेक्षा हुई है। सरकार की मुख्य आकांक्षाओं में से एक इन सुविधाओं को ग्रामों तक प्रसारित करना है। चिकित्सा की हमारी स्वदेशीय पद्धति सरकार के कार्यों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है तथा एक पृथक् आत्म--निर्भर सगठन का धीरे धीरे निर्माण हो रहा है।

१७. एक अन्य प्रधान समस्या, जिसे हम राजस्थान में हल करना है, यातायात (कम्युनिकेशन) का प्रश्न है। हमने राजस्थान के समस्त भागों में, जहां यातायात के साधनों का अभाव है, सड़कों का जाल बिछाने के हेतु पहले ही योजनाएं तैयार करली हैं। आर्थिक कठिनाई को दृष्टि में रखते हुये जिसका कि हमें सामना करना पड़ रहा है, यह कार्य स्वभावतः हमें धीरे धीरे क्रमपूर्वक करना पड़ेगा, लेकिन मेरी सरकार का अन्तिम लक्ष्य सड़क यातायात की इस समस्या को सदैव के लिये ही हल करना है।

१८ राजस्थान जैसे स्थान में सरकार का ध्यान आकर्षित करने वाला अन्य मद, जल प्रदाय का है। बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां उसी स्थान पर पीने के लिये भी जल प्राप्य नहीं है बल्कि कई मीलों को दूरी से लाना पड़ता है। फिल्टर किया हुआ पानी केवल जयपुर और जोधपुर में ही प्राप्य है। जल-प्रदाय की विभिन्न योजनाएं नगर और देहात दोनों के लिये ही बना ली गई हैं और यथा समय उनकी अभिपूर्ति भी की जायगी। जल-प्रदाय की योजना में, जैसी कि बनाई गई है, साढे पांच करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है और इस योजना में बाईस जिलों के प्रधान स्थान और १५ अन्य नगर सम्मिलित किये गये हैं। कुछ धनराशि, योजना-आयोग द्वारा देहाती क्षेत्रों में जल-प्रदाय की उन्नति के लिये भी प्रदान की गई है।

१९. आधुनिक जीवन की आवश्यकताओं में विद्युत ने एक प्रमुख स्थान ग्रहण कर लिया है शक्ति-उत्पादक केन्द्र राजस्थान में अनेकों स्थानों पर विद्यमान हैं। लेकिन इन सब में महत्वपूर्ण जयपुर, जोधपुर और बीकानेर के हैं। युद्ध के पश्चात् मुख्य सामान की प्राप्ति में कठिनाई होने के कारण, ये केन्द्र, जो अत्यधिक रूप से निकृष्ट होगये थे, उन्नत एवं प्रतिस्थापित नहीं किये जा सके हैं। फिर भी गत दो वर्षों में इस सम्बन्ध में पर्याप्त उन्नति की गई है। जबकि कुछ स्थानों पर पॉवर-स्टेशनों की सामर्थ्य और अधिक बढ़ाई जारही है, अन्य स्थानों पर नवीन शक्ति-उत्पादक-यंत्र स्थापित किये जा रहे हैं।

२० सिंचाई के क्षेत्र में भी राजस्थान का प्रमुख स्थान है। सन् १९२८ से बीकानेर के बालुकामय ऊसरों के विशाल भू-भागों की सिंचाई हो रही है। इस कार्य के लिये राजस्थान की जनता बीकानेर के दूरदर्शी व महान् नरेश-स्वर्गीय महाराज श्री गंगासिंहजी की आभारी है। राजस्थान में प्रारम्भ की गई नहर द्वारा अनवरत सिंचाई की यह प्रथम योजना है और अब इससे सात लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। भाखरा-बांध-योजना में भी हमारा हिस्सा है जिसके

द्वारा अंततः राजस्थान में १० से १२ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी, और उससे हमें औद्योगिक शक्ति भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होगी ।

२१. सब से महत्वपूर्ण योजना, जिसमें राजस्थान और मध्य भारत दोनों को अभिरुचि है, चंबल घाटी विकास-परियोजना है, जो एक बहुमुखी योजना है । इस योजना की पूर्ण लागत ४८ करोड़ अनुमानित की गई है । इसमें तीन बांध और एक स्रोत होगा । प्रारम्भिक अनुसंधान समाप्त कर लिये गये हैं तथा इस परियोजना का पंच-वर्षीय योजना में सम्मिलित करने का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है। योजना-आयोग के निर्देशों के अंतर्गत एक संयुक्त-परियोजना प्रतिवेदन मध्यभारत और राजस्थान की सरकारों द्वारा तैयार किया जा रहा है । ऐसी आशा की जाती है कि २ लाख एकड़ भूमि को १९५४ ५५ में सिंचाई होने लगेगी जो धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होगी तथा १९६० तक, जब योजना परिपूर्ण होगी, ऐसी आशा की जाती है कि यह वृद्धि १२ लाख एकड़ से भी बढ़ जायगी । इस योजना से भी २,००,००० किलोवाट औद्योगिक शक्ति का उत्पादन होगा।

२२. शेष भारत की तरह राजस्थान आवश्यक रूप से एक कृषिप्रधान तथा कुछ सीमा तक पशु-पालक राज्य है । जिस प्रकार भोजन के बिना जीवन धारण करना अचिंत्य है उसी तरह औद्योगीकरण की कुछ मात्रा के बिना सौख्य पूर्ण अस्तित्व एवं उच्चतर का जीवन अकल्पनीय है । सरकार, राज्य में कृषि की दशा में सुधार तथा उद्योग और व्यवसाय की उन्नति के लिये पूर्ण ध्यान देती रही है । रियायतों व सुविधाओं, सुदक्ष व्यक्तियों अथवा समितियों के द्वारा टैकनीकल सलाह व सहायता के रूप में संपूर्ण सभव प्रोत्साहन देने की नीति का अनुसरण किया गया है । खनिज परामर्श-दात्रि परिषद् की स्थापना १९५१ को, औद्योगिक एवं घरेलू उद्योगों की प्रदर्शनी, भेड़ों और ऊन के सुधार के लिये किये गये कार्य का प्रदर्शन, सरकार द्वारा उठाये गये कुछ क्रियात्मक कदम हैं । हमारी आर्थिक नीति का अन्तिम लक्ष्य प्रगतिशील औद्योगी-करण द्वारा सब के लिये पर्याप्त काम-धंधा एवं सामान्य व्यक्ति के लिये उच्चतर जीवनस्तर सुलभ करना है । वर्तमान समय में राजस्थान कपड़े, चीनी, सीमेण्ट, लिगनाइट, अभ्रक आदि का उत्पादन कर रहा है और भारत के आधार-भूत उद्योगों में से एक अर्थात् सिन्द्री को फरटीलाइजर फैक्ट्री को बृहत् परिमाण में उच्च श्रेणी की खड़िया मिट्टी देकर एक महत्वपूर्ण सहायता कर रहा है। विभाजन के साथ वे प्रमुख उद्गम-स्थान, जहां से खड़िया मिट्टी निकाली जाती थी, भारत के लिये समाप्त होगये लेकिन इस खाई को राज्य के बीकानेर और जोधपुर डिवीजनों ने सफलतापूर्वक प्रवेश करके पाट दिया जहां तक सीमेण्ट का सम्बन्ध है, लाखेरी की निर्माणी (फैक्ट्री) भारत के बृहत् उत्पादकों में से एक है ।

२३. ऊन के उत्पादन में हमारी स्थिति बहुत ही विशिष्ट है । भारत के सम्पूर्ण ऊन-उत्पादन का लगभग एक तिहाई भाग, राजस्थान से प्राप्त होता है । प्रगतिशील उपायों द्वारा नस्ल की उन्नति, वर्गीकरण तथा बाल कटाई करके तथा इनका एक व्यवसाय आरम्भ करके केवल कच्चे माल के उत्पादक ही न बने रह कर, हम राज्य के धन में वृद्धि कर सकते हैं ।

२४. सरकार एक ऐसी नीति का अनुसरण करेगी जिसके द्वारा राजकीय एवं निजी उद्यम, उद्योग के क्षेत्र में, एक दूसरे को अनुपूरित एवं संपूरित करेंगे और जो भी प्रोत्साहन, इस क्षेत्र में इस निजी उद्यम को आगे बढ़ाने के लिये सहायतार्थ चाहा जायगा और संभव होगा, शीघ्रतापूर्वक उपलब्ध होता रहेगा।

२५. एक कुशल एवं संतुष्ट श्रमिक-वर्ग किसी सफल एवं उन्नतिशील उद्योग की प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक है। केन्द्रीय विधान मंडल के निर्माणी एवं श्रम-सम्बन्धी समस्त महत्वपूर्ण कानून यथा फैक्ट्री एक्ट, वर्कमैन्स कम्पेनसेशन एक्ट, इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट आदि राजस्थान में लागू कर दिये गये हैं। हम आशान्वित हैं कि उद्योगों में प्रबन्धकों और श्रमिकों के मध्य के झगड़े, इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के आश्रय से यदि पूर्णतः समाप्त नहीं होते तो कम से कम अत्यधिक न्यून अवश्य हो जावेंगे। हमें विधान के इस भाग का संतोषप्रद परिणामों के साथ उपयोग करने का पहले ही अवसर प्राप्त हो चुका है। फिर भी कालान्तर में आर्थिक ढांचे के इन दो महत्त्वपूर्ण तत्वों के मध्य की खाइयां, निर्णय और पंच निर्णय द्वारा समाप्त हो जायेंगी।

२६. मेरी सरकार भारत के योजना-आयोग (प्लानिंग कमीशन) के कार्य का संलग्नता से अनुसरण कर रही है तथा उससे सम्पर्क रख रही है। योजना के मसविदा के अनुसार, जो पहिले ही प्रकाशित हो गया है, राजस्थान के लिये आगामी पांच वर्षों में पन्द्रह करोड़ रुपया व्यय किया जाना है। इसमें से केन्द्रीय सरकार द्वारा व्यय की जानेवाली रकम लगभग नौ करोड़ रुपया होगी। मेरी सरकार पंच वर्षीय योजना में चम्बल-जल विद्युत् योजना को भी सम्मिलित करने का प्रयत्न कर रही है। उस दशा में राजस्थान के विकास के हेतु नियोजित कोष में पर्याप्त वृद्धि हो जायगी। जो योजनाएं अब तक तैयार की गई हैं उनमें विकास की विभिन्न दिशाएं जैसे सिंचाई, विद्युत्, चिकित्सीय सहायता, एवं जनस्वास्थ्य, यातायात, कृषि, पशु-सहायता, घरेलू उद्योग धन्धे, वनारोपण, शिक्षा, श्रम प्रशासन तथा कल्याण, परिगणित वर्गों की उन्नति और जिन स्थानों में पानी की कमी है उन स्थानों में पर्याप्त पानी की व्यवस्था करना सम्मिलित है। योजनाओं को भारत के योजना-आयोग द्वारा अन्तिम रूप से स्वीकार कर लेने पर उन्हें पंच वर्षीय योजना में निहित विभिन्न योजनाओं को कार्यरूप में परिणत करने के लिये एक उपयुक्त-मशीनरी का निर्माण किए जाने का प्रश्न उठाया जावेगा।

२७. सरकार विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्त शासन की ओर ध्यान दे रही है। पूर्ववर्ती कुछ एक रियासतों में हमने स्थानीय प्रशासनों में नगर-पालिकाओं जिला बोर्डों और पंचायतों के रूप में अच्छी उन्नति की थी। स्थानीय संस्थाओं की प्रणाली एवं नियंत्रण को एकीकृत करने के लिये गत दो वर्षों में पहिले से ही कार्यवाही की गई है जिससे वे सम्पूर्ण राज्य में न्यूनाधिक समान नीति का ही अनुसरण करें। हमारे संविधान में आदेशात्मक सिद्धान्त यह है कि ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने की कार्यवाही राज्य द्वारा की जावेगी और उनको ऐसी शक्तियां तथा सत्ता समर्पित की जावेगी, जो उनको स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करसकने में समर्थ बनाने के लिये आवश्यक हों। इस प्रण को पूर्ण करने के लिये प्रयत्न किये जा

रहे हैं। मेरी सरकार का ध्येय यह है कि पांच हजार या उससे अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक ग्राम में एक नगरपालिका और एक हजार या उससे अधिक जनसंख्या वाले गांवों में ग्राम-पंचायतें हों। इन मामलों में से कुछ एक मामलों के सम्बन्ध में कानून पहिले से ही लागू कर दिये हैं और सरकार चाहती है कि इस नीति को कार्यरूप में परिणत करने के लिये आवश्यक विधान को यथा सम्भव लागू कर दिया जावे।

२८. राज्य के कस्टम तथा एक्साइज सम्बन्धी प्रबन्ध का भी मुझे कुछ दिग्दर्शन कराना चाहिए। पहिला इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि दूसरा, क्योंकि इस राज्य और शेष भारत के मध्य चुंगी की बाधाएं थोड़े समय में ही हटादी जावेंगी। यह सन्तोष का विषय है कि सरकार आबकारी प्रशासन में एकसी ही प्रणाली को पहिले से ही लागू करने में सफल हो सकी है। आबकारी प्रशासन का महत्वपूर्ण भाग मादक तथा अन्य दवाओं के सम्बन्ध में राज्य की नीति से सम्बन्धित है। न केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा हो वरन् संसार की समस्त शिष्ट सरकारों द्वारा अंगीकार की गई नीति के अनुसरण में हमारी नीति अधिकतम करो तथा मानव स्वास्थ्य के लिये हानिकारक, मादक तथा अन्य दवाओं के न्यूनतम विक्रय की है। राजस्थान की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण हमारी सरकार को "मद्य निषेध" के विवादास्पद प्रश्न पर अन्तिम निर्णय करना संभव नहीं हो सका है। संघीय आर्थिक एकीकरण के इकरारनामें के अनुसार अन्तर्देशीयस्थल आयात-निर्यात-कर व्यवस्था शनैः शनैः सन १९५५, तक समाप्त हो जायगी। हम आमदनी में होने वाली इस कमी को किसी सीमा तक कृषि सम्बन्धी आमदनो पर आय कर तथा बिक्री-कर लगा कर पूरा करना चाहते हैं जिसके लिए कानून जारी किया जावेगा।

२९. यह अनुभव करके संतोष होता है कि महान् विप्लवों में से एक विप्लव का, जिसने एक बार शासन को अपने आधार-भूत स्थानसे अव्यवस्थित कर देने तथा उलट देने की धमकी दी थी, उसके ऊपर सफलता-पूर्वक नियन्त्रण कर लिया गया है। मेरा संकेत विभाजन के बाद विस्थापित व्यक्तियों के बहुसंख्या में होनेवाले निर्वासन से है। ऐसे लगभग चार लाख व्यक्ति राजस्थान में बस गये हैं। उनमें से एक बहुत बड़ी संख्या या तो कृषि में लग गई है या उनके लिये अन्य उपयोगी तथा लाभ दायक व्यवसाय खोज निकाले हैं। वास्तव में अब वह अवस्था आ गई है जब हम विस्थापितों को राज्य के राजनैतिक अंग में एक पृथक एवं भिन्न भाग समझना बन्द कर सकते हैं क्योंकि वे अब यहां की जन संख्या में संविलीन हो गये हैं और समाज के उपयोगी तथा मूल्यवान सदस्य बन गए हैं। सरकार इन पुरुषार्थियों को सामान्य जीवन में संविलीन कर देने में कोई भी प्रयत्न उठा नहीं रखेगीं।

३०. हमारे संविधान में जनता के निर्बल तथा पिछड़े हुए वर्गों के लिए विशिष्ट प्रावधानों की व्यवस्था की गई है और इन प्रावधानों को कार्यरूप में परिणत करने के लिए प्रत्येक राज्य के सिरपर उत्तरदायित्व रखा गया है। जिन क्षेत्रों को, जिन जातियों को तथा वर्गों को, अनुसूचित-क्षेत्र, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित वर्ग की तरह व्यवहार में लाना है उनकी राष्ट्रपति महोदय ने पहिले से ही घोषणा कर दी है। विशेषतः उनके तथा सामान्यतः राज्य

की जनता के समस्त पिछड़े हुए वर्गों के कल्याण के लिए, राज्य के राजप्रमुख होने के नाते, मेरे ऊपर विशिष्ट जिम्मेदारी तथा दायित्व है विशेषत: गत दो वर्षों में इस सम्बन्ध में हमने एक बलवती नीति का पालन किया है। हमारा उद्देश्य हृष्ट-पुष्ट व्यक्तियों के एक निस्सहाय समाज का निर्माण करना नहीं है वरन् गौरव तथा आत्म-सम्मान रखने वाले बुद्धिमान तथा महनती नागरिकों का, जो एक वर्गहीन तथा वर्गहीन समाज की स्थापना करने में अपना हाथ बटाने को उद्यत हों। इन व्यक्तियों में फीस माफ करके, छात्रवृत्तियों, शिक्षा की विशेष व्यवस्था जैसे जिन स्थानों में ये लोग रहते हैं उनमें विशिष्ट संस्थाओं की स्थापना, छात्रालयों आदि की व्यवस्था आदि द्वारा शिक्षा तथा ज्ञान का प्रसार करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। कन्याओं की शिक्षा की भी उपेक्षा नहीं की जा रही है। मकानों की व्यवस्था करके, कृषि फार्म-प्रणाली तथा औद्योगिक-प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं देकर उनकी दशायें सुधारने का विभिन्न योजनायें भी सरकार के सामने हैं। कुछ भागों में और खास कर उदयपुर डिवीजन में जहां अनुसूचित जातियों का एक बड़ा भाग रहता है यातायात के साधनों का अभाव उनकी निरन्तर पिछड़ी हुई अवस्था का एक कारण है क्योंकि अब तक वे एकाकी अवस्था में रहते रहे हैं, जहां सभ्यता के सम्पर्क में आने के लिये उनको बहुत कम अवसर प्राप्त थे। संविधान के प्रावधानों के अनुसरण में, सरकार ने, अनुसूचित वर्गों तथा अनुसूचित जातियों के लिये सरकारी नौकरियों का एक अनुपात, आरक्षित कर दिया है। इन व्यक्तियों तक सहकारिता आन्दोलन के लाभों को विस्तृत करने की एक योजना तैयार की जा रही है। यह आशा की जाती है कि इन वर्गों के व्यक्ति राज्य के राजनैतिक अंग में अपना उचित स्थान प्राप्त करने के योग्य हो सकेंगे। संविधानिक प्रतिबन्ध के अन्तर्गत अस्पृश्यता को पहिले से ही गैर-कानूनी ठहरा दिया गया है। हम इस प्रावधान को कार्यरूप में परिणत होते देखने के लिये दृढ़प्रतिज्ञ हैं।

३१. मुझे भय है कि मैं कुछ विस्तार के साथ कह गया हूं, किन्तु मेरा विचार है कि जिस प्रकार हमारी सरकार राज्य के मामलों को संचालित करती रही है उस प्रणाली से तथा भविष्य की अपनी योजनाओं से मैं आपको अवगत करादूं। आप यहां पर जनता के मतानुसार एक भारी भार को उठाने के लिये आये हैं। इतिहास में प्रथम बार हम प्रजातंत्रात्मक शासन के ऊंचे तथा श्रेष्ठ साहसिक कार्य को वहन कर रहे हैं। पूर्णरूपेण प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति में हमारा यह प्रथम अनुभव होने के कारण मैं आप सब महानुभावों से इस सभा के सदस्य होने के नाते आये हुये कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों का पालन करने में इस प्रकार व्यवहार करने की आशा रखता हूं कि आप लोग सराहनीय परम्परा तथा ठोस रीतियों की स्थापना कर सकें जिससे स्वतंत्र तथा गणतंत्रात्मक भारत के एक सम्पूर्ण और महत्वपूर्ण इकाई के रूप में हमारा राज्य मान तथा मर्यादा-पूर्ण स्थान प्राप्त कर सके।

३२. सरकार न केवल अपनी नीतियों तथा कार्यक्रमों की ही, वरन् अपने कार्यों तथा भूलों की भी समस्त रचनात्मक आलोचना का सदैव स्वागत करेगी। हमारे क्षीण साधनों तथा अमित समस्याओं के कारण उपस्थित होने वाली समस्त

कठिनाइयों के प्रति वह पूर्णतः जागरूक है। परन्तु जैसे प्रतिबन्ध आज विद्यमान हैं उनको ध्यान में रखते हुये इन समस्याओं का शक्ति और संकल्प के साथ हल करना है और जहां वे आपकी ओर से शासन सुधार अथवा लोक सेवा की ओर बढ़ाने वाले प्रत्येक सुझाव के महान् मूल्य को आंकेंगे, वहां मैं इस सभा के प्रत्येक अंग से अबाध रूप से शासन को वास्तव में "जनता की, जनता द्वारा, और जनता के लिये होनेवाली सरकार" बनने में अपना सहयोग देने की आशा रखता हूं। मैं आपको उस प्रतिज्ञा का स्मरण करा देना चाहता हूं जो आपने, जिन कर्तव्यों पर आप आरूढ़ होने वाले हैं, उनका निष्ठापूर्वक पालन करने के लिये ली थी। कतिपय विचारों को, जो मेरी दृष्टि में मौलिक हैं महत्व देना अनुचित न होगा। राज्य-तत्व वर्गों का उच्छृंखल संग्रह मात्र नहीं है, जिनके हित परस्पर विरोधी हैं, लेकिन व्यष्टि से ही सुघटित समष्टि का निर्माण होता है एवं व्यष्टि का कल्याण प्रत्येक वर्ग की कुशल-क्षेम के साथ संबद्ध है। गणतन्त्र का तात्पर्य किसी भी प्रकार के केवल शासन मात्र से ही नहीं है वरन् उसमें अन्तरात्मा की भावना भी उपलक्षित होती है। उसका सारतत्व, मेल-जोल, सहिष्णुता, पारस्परिक अनुकूलन तथा पारस्परिक भेद-भावों को न्यायप्रियता, सौहार्दता एवं उदारता की भावना से समाधान करने की तत्परता प्रदर्शित करने में निहित है। इस सभा के भीतर तथा बाहर आपके विचार तथा कार्य देश भक्ति की भावना से प्रभावित होने चाहियें न कि दलबन्दी की भावना से। राजस्थान में एक युग समाप्त हो गया है और दूसरा प्रकाश में आ रहा है। इस नये युग में आप वे संरक्षक हैं जिनकी संरक्षता में इस प्राचीन किन्तु साथ ही नवजात राज्य के हित सुपुर्द किये गये हैं। परमात्मा आपके विचारों में आपका भली-भांति पथ-प्रदर्शन करे और राजस्थान में समृद्धि तथा शांतिपूर्ण प्रगति की ओर इस नये युग का प्रारम्भ करने में हमको भी वैसा ही पथ-प्रदर्शन प्राप्त हो।

उद्घाटन भाषण के पश्चात् श्रीमन् राजप्रमुख सभा भवन से ४-० बजे वापस पधारे।

मन्साराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा

जयपुर,
३१ मार्च, सन् १९५२.